



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 814

दिनांक:- 31/12/2024


उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर श्री अमित सिंह सुपुत्र श्री वीरेंद्र कुमार सिंह [Shri Amit Singh S/o Sh. Virendra Kumar Singh] [वरि. 222, यू. आई. डी.- 1705593] सहायक निदेशक (उद्यान), जिनकी तैनाती वर्तमान में उद्यान खंड-V कार्यालय में हैं एवं उन्हें एफ. आर. 49(i) के अंतर्गत उद्यान खंड-IX में उप निदेशक (उद्यान) के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, को उप निदेशक (उद्यान) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 (67,700-2,08,700/- रु.) में (जो कि छठे वेतन आयोग में 15600-39100/-रु. के पे बैंड में 6600/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी होंगे।

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत 15600-39100/- रु. के वेतनमान में 6600/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 11 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(I)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(I)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. यह पदोन्नति प्रोविज़नल है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अवमानना याचिका संख्या 314/2016 और एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 4831/2012 के परिणाम के अधीन हैं।

4. यह पदोन्नति 2 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर होगी। परिवीक्षा से संबंधित सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।

5. उप निदेशक (उद्यान) के पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप, श्री अमित सिंह सुपुत्र श्री वीरेंद्र कुमार सिंह को सक्षम अधिकारी ने आगे की तैनाती हेतु निदेशक (कार्मिक-1) को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर तैनाती होने की तिथि से प्रभावी होगी।


31/12/24

(प्रमोद कुमार)


उप निदेशक (गोपनीय)

दिनांक:- 31/12/2024

सं.एफ.10(30)2024/सी.सी./2064

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
2. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. प्रधान आयुक्त (उद्यान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. मुख्य अभियंता (कोटि आश्वासन कक्ष), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. अतिरिक्त आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
8. निदेशक (कार्मिक)-I / सतर्कता I, II / निदेशक (उद्यान) दक्षिण-पूर्व, उत्तर पश्चिम, दि.वि.प्रा.।
9. उप निदेशक (कार्मिक)-I / सतर्कता(प्रशा.) / एच.डी- V (रोहिणी) / एच.डी- IX (विवेक विहार), दि.वि.प्रा.।
10. उप निदेशक (प्रणाली)/ पी.एम.आई.एस., दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions)
11. सहायक निदेशक (कार्मिक)-I / पी.एम.आई.एस. / प्रणाली / गोपनीय कक्ष - II, दि.वि.प्रा.।
12. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सी.ए.यू) उद्यान, दि.वि.प्रा.।
13. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
14. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।


31/12/2024

(भेद्यना त्यागी)

सहायक निदेशक (गोपनीय)